



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042022-234960
CG-DL-E-07042022-234960

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]
No. 272]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 286(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय गुणवत्ता परिषद् के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (क्यूसीआई-एनएबीईटी) द्वारा प्रदत्त प्रत्यायन के परिणामस्वरूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के उक्त दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश संख्या एम. VI-16/15/2021-खान VI, तारीख 12 अगस्त, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यायित प्राइवेट खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए उक्त मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है) द्वारा जारी किए गए प्रत्यायित प्राइवेट खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट “प्रवर्ग ‘ख’ खोज अभिकरण” के अधीन मैसर्स जियोटेक्निकल माइनिंग सोल्यूशनस् को अधिसूचित करती है।

2. अभिकरण, प्रत्यायित प्राइवेट खोज अभिकरणों की अधिसूचनाओं के लिए उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना के साथ भावी संक्रियाएं करेगा।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी और अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसकी समाप्ति तक या प्रदत्त प्रत्यायन की समाप्ति तक, जो भी पहले हो विधिमान्य होगी।

[फा.सं. एम-VI-16/22/2022-खान VI (भाग 2)]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2022

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred under the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and consequent upon accreditation provided by the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India (QCI-NABET), the Central Government hereby notifies the M/s. Geotechnical Mining Solutions under 'Category B Exploration Agencies' as specified in the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines vide order no. M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021 (hereafter referred to as the said guidelines for notification of accredited private exploration agencies) for the purposes of the said second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. The agency shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the said guidelines for notifications of accredited private exploration agencies.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain valid for a period of three years from the date of notification or till expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI (Part 2)]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.